न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रशान्त शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 146/2014

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 देवाराम पुत्र कानाराम जाति माली निवासी बाडमेर मगरा हाल प्रताप जी की प्रोल बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 स्वरूपाराम 2 मोहनलाल पिसरान मांगीलाल 3 गोमाराम पुत्र रतनाराम जाति माली निवासी न्यू कवारा बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री सुनिल मेराजा वकील वादी।

निर्णय

दिनांक 10/09/20

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2596/730 रकबा 02.18 बीघा व खसरा संख्या 722 रकबा 27.16 बीघा कुल रकबा 30.14 बीघा आई हुई है, जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाई हुई है। प्रतिवादीगण झगडालू, बदमाश व भू–माफिया है, जो वादी के सेढा पड़ोसी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्के नेखम लगाये गये कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि के सेढे को तोड़कर जबरन वादी की लगभग 01.18 बीघा भूमि, जो परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से अंकित है, पर अवैध अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर दिया है। लिहाजा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से अंकित भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटवाकर वादी को कब्जा दिलवाने तथा वादी के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, इस आशय की डिकरी प्राप्त करने का अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया और न ही साक्ष्य पेश की। न्यायालय समय में उपस्थित नही रहने से इनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

वादी की साक्ष्य में वादी देवाराम तथा गवाह भावेश कुमार उपस्थित। वादी पीडब्लू–1 देवाराम का कथन है कि वादग्रस्त भूमि की वादी द्वारा पक्की नेखमबन्दी करवाई गई। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के होने से उसकी खातेदारी भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया तथा राजस्व [illegible] द्वारा उसकी भूमि के सेढे पर लगाये गये पक्के नेखम को हटा[illegible] भूमि खसरा संख्या 722 के सेढे 01.11 बीघा भूमि एवं खसरा संख्या 2596/730 की 02.18 बीघा भूमि [illegible] 0.07 बीघा भूमि कुल रकबा 01.18 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा स्थापित कर दिया है, जिसकी पुलिस में कार्रवाई की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी व नक्शा की प्रमाणित **प्रतिलिपि क्रमशः प्रदर्श–1** व प्रदर्श–2 है तथा नेखमबन्दी बाबत् प्रस्तुत फर्द मौका व **फर्द नक्शा मय पुष्टी फर्द** की प्रति प्रदर्श–3 है। साथ ही राजस्व आवेदन संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.08.26 17:51:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

103/13 स्थगन आदेश दिनांक 22.05.2013 प्रदर्श–4 है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध दर्ज फौजदारी प्रकरण में पेश चार्ज–सीट प्रदर्श–5 है। वादी ने अपने बयानों में कथन किया कि उसकी खातेदारी की कब्जासुद्ध भूमि जिसकी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पक्की नेखमबन्दी की गई है, उसे तोड़ कर प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा किया गया है, जिसे हटवाने का वादी अधिकारी है। वादी के अन्य गवाह भावेश कुमार पीडब्लू–2 द्वारा भी वाद कथन में अंकित तथ्यों की पुष्टी करते हुए यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खसरा संख्या 722 में 01.11 बीघा व खसरा सख्या 2596/730 में 0.07 बीघा भूमि कुल रकबा 01.18 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा स्थापित किया है।

वादी द्वारा अपनी साक्ष्य बन्द की गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उसकी खातेदारी भूमि जिसकी पक्की नेखमबन्दी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई है। उक्त पक्की नेखमबन्दी पर लगे पक्के नेखम को तोड़कर उसकी खातेदारी की 01.18 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा किया गया है, जो संलग्न परिशिष्ठ–'अ' में दर्शाई गई है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाकर वादी को उक्त भूमि सुपूर्द करवाने का अधिकारी है। साथ ही मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2596/730 रकबा 02.18 बीघा व खसरा संख्या 722 रकबा 27.16 बीघा कुल रकबा 30.14 बीघा भूमि में वादी को प्राप्त उपभोग व उपयोग के अधिकारों से किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन एवं बाधा प्रतिवादीगण कारित न करे न ही किसी अन्य से करवावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों, पत्रावली के अवलोकन एवं गवाह के बयान से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि का वादी अभिलिखित खातेदार है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी विधि सम्मत करवा कर उस पर पक्के नेखम स्थापित किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख बाबत् पक्की नेखमबन्दी एवं फर्द मौका, जो प्रदर्श ईएक्स–पी3 है, से भी उक्त कथन की पुष्टी होती है। वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी की पूर्वी तथा दक्षिणी माठ पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, जिसे बेदखल किया जाना उचित प्रतीत [illegible]

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार [illegible] मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर मगरा तहसील [illegible] खेत खसरा संख्या 2596/730 रकबा 02.18 बीघा व खसरा संख्या 722 रकबा 27[illegible] बीघा कुल रकबा 30.14 बीघा जो प्रदर्श–3 में नक्शा में वर्णित "ए" से "आई" तक की भूमि वादी की खातेदारी की है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का विधिक अधिकार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.08.26 17:51:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(SDO) बाडमेर

अतः मौजा बाडमेर मगरा पटवार क्षेत्र बाडमेर मगरा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2596/730 रकबा 02.18 बीघा व खसरा संख्या 722 रकबा 27.16 बीघा भूमि की वादी द्वारा पक्की नेखमबन्दी करवाई गई है। उक्त नेखमबन्दी बाबत प्रस्तुत फर्द मौका, फर्द नक्शा मय पुष्टी फर्द जो प्रदर्श–3 है, जो वादी की खातेदारी की है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप अतिक्रमण न करें। तहसीलदार बाडमेर आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। प्रदर्श–3 के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

तारीख 18/08/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रशस्ति शर्मा)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 18/08/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.08.26 17:51:36 IST
Reason: SelfAttested